कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–द/शासन/66170/2019–20/120 दिनांकः 26/9/20

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) – माध्यमिक।

विषयः– प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित ''महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)'' में कार्यरत स्टाफ को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में प्रतिनियुक्ति से मुक्त रखे जाने बाबत।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांकः प. 19 (12) शिक्षा–2/2016 जयपुर दिनांकः 14.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त जिला कलक्टर महोदय को शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य से जुड़े हुए जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों में चुनाव सम्बन्धी कार्य सम्पादन हेतु दीर्घावधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। जिससे उक्त विद्यालय में निर्बाध शिक्षण व्यवस्था एवं दैनंदिन कार्यालयीन कार्य सम्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है अतः आपको निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम के उक्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों/ कार्मिकों को आपके अधीन कार्यालयों में एवं जिले के अन्य कार्यालयों में शैक्षणिकोत्तर एवं निर्वाचन सम्बन्धी दीर्घावधि की प्रतिनियुक्तियों तथा बीएलओ कार्य इत्यादि से मुक्त रखे जाने तथा पूर्व में प्रतिनियुक्त समस्त शिक्षकों/कार्मिको की प्रतिनियुक्ति तत्काल समाप्त कर पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करावें। ताकि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थापित इन विद्यालयों में शासकीय अपेक्षानुरूप निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

साथ ही जिला क्लक्टर महोदय से मिलकर उक्त विद्यालय हेतु DMFT, स्वविवेक, स्थानीय भामाशाहों से अधिकतम योगदान प्राप्त करने की कार्यवाही भी करावें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिला कलक्टर महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप–2 राजस्थान जयपुर को प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग

कमांक:प.19(12)शिक्षा–2 / 2016

जयपुर दिनांक 14-11-2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी / कलेक्टर

....

विषयः– प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित "महात्मा गांधी" राजकीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में प्रतिनियुक्ति से मुक्त रखे जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा " राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" कक्षा एक से बारहवीं तक स्थापित करने की घोषणा की गई थी ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर सकें।

उक्त घोषणा के कम में राज्य में समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर इसी सत्र में इन विद्यालयों की सफलतापूर्वक स्थापना की जाकर, कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है और निर्धारित योग्यताधारी संस्था–प्रधान एवं शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ का साक्षात्कार द्वारा चयनोपरांत पदस्थापन किया जा चुका है । उक्तानुसार समस्त जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे है। उक्त विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना है। अतः जिलों से प्राप्त सूचनानुसार उक्त विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को निर्वाचन सम्बन्धी कार्य से जुडे हुए उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यालयों में चुनाव सम्बन्धी कार्य सम्पादन हेतु दीर्घावधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिससे उक्त विद्यालय में निर्बाध शिक्षण व्यवस्था एवं दैनंदिन कार्यालयीन कार्य सम्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः आपको निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम के उक्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों / कार्मिकों को शैक्षणिकोत्तर कार्यों एवं निर्वाचन सम्बन्धी दीर्घावधि की प्रतिनियुक्तियों तथा बी.एल.ओं. कार्य इत्यादि से मुक्त रखे जाने तथा पूर्व में प्रतिनियुक्त समस्त शिक्षकों / कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल समाप्त कर, पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करावें ताकि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थापित इन विद्यालयों में शासकीय अपेक्षानुरूप निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ।
03. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
04. रक्षित पत्रावली

(रामेश्वर लाल जाट) 14.11.19
शासन सहायक सचिव